

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।**

3307

/वाद संख्या-आर-0645/2024

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

बनाम

दिनांक 27/08/2025

श्रीमती अनीता पुजारा पत्नी श्री यशपाल पुजारा,
गली न-4, निकट होटल गंगा अशोक, वीरभद्र मार्ग
ऋषिकेश।

विपक्षी द्वारा गली न-4, निकट होटल गंगा अशोक, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून में उपरोक्त स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-2802/23-24/आरई-1 से विचलन का एफ0एस0बी0 एवं आर0एस0बी0 को प्रभावित करते हुए लगभग 26 फिट गुणा 50 फिट के क्षेत्रफल में बुनियाद एवं कॉलमों का निर्माण कार्य के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) यथासंशोधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0645/2024 योजित करते हुए क्रमशः निर्माण कार्य रोकें एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.06.2024 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.06.2024 की तिथि नियत की गयी थी। उक्त निर्माण को कार्यालय पत्रांक 2730 दिनांक 10.10.2024 द्वारा निर्माण सील कर दिया गया। उक्त के संबंध में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अपनी स्थलीय आख्या दिनांक 25.08.2025 में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अपने निर्माण को मानचित्र संख्या सीआर/0310/24-25 के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा शमन किया जा चुका था। विपक्षी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को कार्यालय में अपने निर्माण को सील अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। चौकी वर्तमान में प्रश्नगत दवाद का समाधान हो चुका था, अतः विपक्षी के सील किए गये निर्माण को इस शर्त के साथ सील अवमुक्त किया गया था कि विपक्षी स्थल पर शमनित मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण को यथावत रखेंगे, परन्तु प्रकरण में लगातार शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गयी कि विपक्षी द्वारा स्थल पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसका स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पाया गया कि विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र से विचलन कर अतिरिक्त तल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समय पर रुकवाया भी गया। स्थल पर पाया गया कि विपक्षी निर्माण कार्य को रुकवाने के बाद भी निरन्तर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर प्रश्नगत वाद को लम्बित रखना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्य को यथावत रोकने हेतु विपक्षी के निर्माण को सीलबन्द किये जाने के संस्तुति की गयी है।

-आदेश-

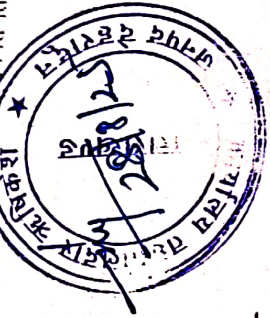
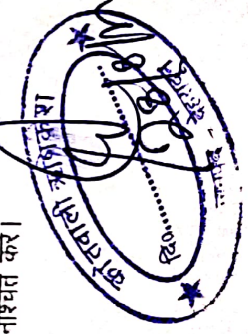
श्रीमती अनीता पुजारा पत्नी श्री यशपाल पुजारा, गली न-4, निकट होटल गंगा अशोक, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून में विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोकें जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा-28-1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 20/08/25 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न ही हटाने दें, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानून दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर वसपा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल (महिला व पुरुष) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नाज़िर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, वतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील निर्माण की नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।



उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,